

निदेशालय, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएँ, राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक : राजपत्रित/एटी/प0 /2017/ 588

दिनांक : 7/09/2017

समस्त प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक,  
मेडिकल कॉलेज, राजस्थान।

समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/  
समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी,  
राजस्थान।

**विषय : चिकित्सकों के कार्यग्रहण की सूचना भिजवाने बाबत।**

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है निदेशालय के आदेश क्रमांक 245 दिनांक 12.07.17 के द्वारा आरयूएचएस वर्ष-2017 से चयनित नवनियुक्त तथा पीजी/डिप्लोमा पश्चात् पदस्थापित किये गये चिकित्सकों की इकजाई सूचना निम्न प्रोफार्मा में तैयार कर दिनांक 13.09.17 तक ई-मेल आईडी addldirgaz@gmail.com पर भिजवाना सुनिश्चित करें :-

क्र. सं.	चिकित्सक का नाम	पदस्थापन स्थान	निदेशालय के आदेश क्रमांक / दिनांक	कार्यग्रहण की दिनांक
1				

उपरोक्त सूचना चाहे जाने हेतु निदेशालय द्वारा बार-बार पत्र व्यवहार एवं दूरभाष पर अवगत करवाने के उपरान्त भी आप द्वारा सूचना समय पर नहीं भिजवाई जा रही है जो राजकार्य के प्रति लापरवाही का द्योतक है।

उक्त सूचना समयावधि में नहीं भिजवाये जाने पर आपके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही के प्रस्ताव राज्य सरकार को भिजवा दिये जायेंगे जिसके लिए आप स्वयं व्यक्तिशः जिम्मेदार होंगे।

निदेशक (जन स्वास्थ्य)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ,  
राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक : राजपत्रित/एटी/प0 /2017/ 588

दिनांक : 7/09/2017

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय स्वास्थ्य मंत्री महोदय, राजस्थान जयपुर।
2. निजि सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वा0 विभाग, राज0 जयपुर।
3. प्रभारी, कम्प्यूटर सर्वर रूम, मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त पत्र को विभाग की वेबसाइट/संबंधित की ई-मेल आई.डी. पर डलवाना सुनिश्चित करावें।
4. निजि/रक्षित पत्राचली।

निदेशक (जन स्वास्थ्य)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ,  
राजस्थान, जयपुर।